

**कार्यालय— जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर।**

प्रशासनिक आदेश संख्या— 2/9 दिनांक: 27 अप्रैल, 2021

**आदेश**

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं० 1946/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 26 अप्रैल, 2021 के अनुपालन में जनपद न्यायालय, कानपुर नगर में न्यायिक कार्य करने की निम्न व्यवस्था की जाती है :-

1. नामित न्यायिक अधिकारीगण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं० 1946/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 26 अप्रैल, 2021 के पैरा 1 के निर्देशानुसार मात्र नवीन/लम्बित जमानत प्रार्थना पत्र, निर्मुक्ति प्रार्थना पत्र, धारा 164 द०प्र०स० के बयान एवं रिमाण्ड की सुनवाई करेंगे।
2. नामित न्यायिक अधिकारीगण उक्त मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग/वर्चुअल कोर्ट के जरिए न्यायालय परिसर या आवासीय कार्यालय से अपनी सुविधानुसार सम्पादित कर सकेंगे।
3. विचाराधीन बन्दी के रिमाण्ड एवं उससे सम्बन्धित अन्य प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र की सुनवाई केवल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी जिस हेतु JITSI वीडियो कांफ्रेंसिंग साफ्टवेयर का प्रयोग किया जा सकेगा।
4. न्यायालय कार्य अवधि में किसी भी दशा में अधिकतम 10 कर्मचारियों का ही प्रवेश अनुमत्त होगा।
5. राज्य सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा निर्गत पत्रांक सं० 720/2021—SeAx-3 दिनांकित 20 अप्रैल, 2021 से निर्गत गाइड लाइन के प्रभावी रहने तक जनपद न्यायालय, कानपुर नगर प्रत्येक शनिवार व रविवार को बन्द रहेगा।
6. प्रभारी अधिकारी नज्दत से अपेक्षा की जाती है कि प्रतिदिन न्यायालय परिसर का पूर्ण सैनेटाइजेशन कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. अधिवक्तागण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में अपने मामले की सुनवाई तक न्यायालय परिसर में रहेंगे।
8. सभी न्यायिक अधिकारीगण को सूचित किया जाता है कि वे अपने आवासीय कार्यालय से Work from Home की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे जिससे कि किसी भी समय आवश्यकतानुसार उपरोक्त वर्णित मामलों की सुनवाई वह अपने आवासीय कार्यालय से कर सकें।
9. जिला न्यायालय की प्रार्थना पत्र प्राप्त करने हेतु समर्पित ई-मेल आईडी **kanpurnagarcourtfilling@gmail.com** पर अधिवक्तागण प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सकते हैं जिसमें अधिवक्ता व वादकारी का नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर अंकित रहेगा इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना पूर्व में दी जाती रही है जो कि न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।



सत्र न्यायालय/अन्य अतिरिक्त सत्र न्यायालयों (विशेष न्यायालयों को छोड़कर) से सम्बन्धित उपरोक्त वर्णित मामलों की सुनवाई व बेलबाण्ड से सम्बन्धित कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की व्यवस्था की जाती है :-

नाम	दिनांक
1. श्री ध्रुव कुमार तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम	28.04.2021
श्री ध्रुव कुमार तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम	29.04.2021
2. श्री दया राम, अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय	30.04.2021
श्री दया राम, अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय	03.05.2021
3. श्री मो0 सफीक, अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम	04.05.2021
श्री मो0 सफीक, अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम	05.05.2021
4. श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम	06.05.2021
श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम	10.05.2021

**विशेष न्यायालयों** (विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट, विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस एक्ट, विशेष न्यायाधीश ड्रग एवं कास्मेटिक/फूड सेफ्टी/पी0डब्लू0डी0 एक्ट, विशेष न्यायाधीश कम्पनीज एक्ट, विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए) से सम्बन्धित उपरोक्त वर्णित मामलों की सुनवाई व बेलबाण्ड से सम्बन्धित कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की व्यवस्था की जाती है :-

नाम	दिनांक
1. श्री प्रभाकर राव, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट	28.04.2021
श्री प्रभाकर राव, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट	29.04.2021
2. डा0 कपिला राघव, अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/ई0सी0 एक्ट	30.04.2021
डा0 कपिला राघव, अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/ई0सी0 एक्ट	03.05.2021
3. श्री सुन्दर लाल, अपर सत्र न्यायाधीश पंचम/गैंगेस्टर एक्ट	04.05.2021
श्री सुन्दर लाल, अपर सत्र न्यायाधीश पंचम/गैंगेस्टर एक्ट	05.05.2021
4. श्री राजवीर सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 25/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट	06.05.2021
श्री राजवीर सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 25/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट	10.05.2021

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त ड्यूटी चार्ट के अनुसार मजिस्ट्रेट न्यायालय से सम्बन्धित उपरोक्त वर्णित मामलों की सुनवाई के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :-

(ए) **मजिस्ट्रेट मामलों से सम्बन्धित जमानत व रिलीज प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के लिए निम्नलिखित मजिस्ट्रेटों की व्यवस्था की जाती है :-**

नाम	दिनांक
1. सुश्री स्नेहा, ए0सी0एम0एम0 द्वितीय	28.04.2021
2. श्री आलोक यादव, ए0सी0एम0एम0 तृतीय	29.04.2021
3. सुश्री योगिता कुमार, एम0एम0 10	30.04.2021
4. श्री अभिनव श्रीवास्तव, एम0एम0 प्रथम	03.05.2021
5. श्री श्रेयांश निरंजन, अपर सिविल जज (जू0डि0), कोर्ट सं0 1	04.05.2021
6. सुश्री अजिता वर्मा, अपर सिविल जज (जू0डि0)/एफ0टी0सी0	05.05.2021
7. सुश्री बुशरा नूर, एम0एम0, कोर्ट सं0 6	06.05.2021
8. श्री गौरव द्विवेदी, एम0एम0, कोर्ट सं0 7	10.05.2021



(बी) धारा 164 द0प्र0स0 के बयान हेतु निम्नलिखित महिला अधिकारियों की व्यवस्था की जाती है, इसके अतिरिक्त जेल में निरूद्ध बंदियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रिमाण्ड तथा नवीन रिमाण्ड व बेल बाण्ड से सम्बन्धित कार्य भी सम्पादित करेंगी :-

नाम	दिनांक
1. श्रीमती अदिति जैन, एम0एम0, कोर्ट सं0 5	28.04.2021
2. सुश्री बुशरा नूर, एम0एम0, कोर्ट सं0 6	29.04.2021
3. सुश्री अजिता वर्मा, अपर सिविल जज (जू0डि0)/ एफ0टी0सी0	30.04.2021
4. सुश्री योगिता कुमार, एम0एम0 10	03.05.2021
5. सुश्री स्नेहा, ए0सी0एम0एम0 द्वितीय	04.05.2021
6. श्रीमती अदिति जैन, एम0एम0, कोर्ट सं0 5	05.05.2021
7. सुश्री बुशरा नूर, एम0एम0, कोर्ट सं0 6	06.05.2021
8- सुश्री अजिता वर्मा, अपर सिविल जज(जू0डि0)/ एफ0टी0सी0	10.05.2021

उपरोक्त के अतिरिक्त अवकाश के दिनों में रिमाण्ड मजिस्ट्रेट, रिमाण्ड कार्य नियमानुसार सम्पादित करेंगे।

वीडियो कांफ्रेंसिंग/वर्चुअल कोर्ट से कनेक्टिविटी से सम्बन्धित समस्या के निदान हेतु श्री अजय सिंह, सिस्टम आफिसर कम्प्यूटर से सम्पर्क किया जा सकता है।

/

(ध्रुव कुमार तिवारी)  
प्रभारी जिला जज/  
अपर जिला जज, कोर्ट सं0 1,  
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित -

1. महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ
2. अध्यक्ष/महामंत्री, बार एसोसिएशन, कानपुर नगर को सूचनार्थ
3. अध्यक्ष/महामंत्री, दि लायर्स एसोसिएशन, कानपुर नगर को सूचनार्थ
4. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर को प्रचार प्रसार हेतु
5. संयुक्त निदेशक अभियोजन/जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सूचनार्थ
6. सम्बन्धित न्यायिक अधिकारीगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

D. K. Tiwari  
(ध्रुव कुमार तिवारी) 27/04/2021  
प्रभारी जिला जज/  
अपर जिला जज, कोर्ट सं0 1,  
कानपुर नगर।  
जनपद न्यायाधीश  
कानपुर नगर